न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 160/2013

महमूद पुत्र उमराव जाति मेव निवासी हुजरा मजरा गांधानेर तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. रसीद
2. फकरू पिसरान नूरमौहम्मद जाति मेव निवासी हुजरा मजरा गांधानेर तहसील पहाडी
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील पहाडी
4. कुर्सीदन पत्नी याकूब
5. फत्तू पुत्र रहमान बक्स जाति मेव निवासी गांधानेर तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादी
श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 4,5

दिनांक 26/04/2024

निर्णय

प्रतिवादी संख्या 4,5 ने मय वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 810/0.74 हैक्टर बांके ग्राम गांधानेर तहसील पहाडी में स्थित है। जिससे वादी का किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है और ना ही कभी रहा है वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो विधि विरूद्ध है उक्त आराजी को प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के खरीद किया था अप्रार्थीया कुर्सीदन पत्नी याकूब ने दिनांक 10/12/2018 को अरसद पुत्र युनुस से बयनामा कराया था और अरसद ने आराजी को दिनांक 12/12/2014 को रसीद पुत्र नूरमौहम्मद से खरीदा था प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 फत्तू पुत्र रहमान बक्श ने अपने हिस्से की रजिस्ट्री दिनांक 12/12/2014 को रसीद ,फकरूद्दीन पिसरान नूरमौहम्मद से कराई थी इस प्रकार आराजी का रजिस्टर्ड बयनामा हो चुका है। जिसकी जानकारी वादी को भली भांति हो चुकी है। रजिस्टर्ड बयनामा को खारिज करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है इस विनाय पर भी वादी का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष चलने योग्य नहीं है जो कि विधि के विपरीत है। वादी का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज होने योग्य है। वादी ने जो तथ्य अपने वाद पत्र में पेश किये है उनके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से किसी भी प्रकार की लेने का अधिकार नहीं रखता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आराजी

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

का बयनामा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को करा चुके है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कोई संबन्ध आराजी से नहीं रहा है। वक्त बयनामा से ही आराजी पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा के अनुसार कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया जावें।

वकील वादी को प्रार्थना पत्र की नकल दी गई। वकील वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का उक्त प्रार्थना पत्र निराधार व आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने वाद पत्र दिनांक 02/12/2013 को न्यायालय श्रीमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ डिक्लेशन का दावा पेश किया उस वक्त आराजी मुतदाविया में उनके पिता नूरमौहम्मद खातेदार था नूरमौहम्मद दावा दायरी के एक माह पूर्व फौत हो जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादी को धमकी दी कि हम अपने नाम विरासत दर्ज कराकर रहन वय मुन्तकिल कर देगे इसलिए वादी ने उक्त वाद पत्र डिक्लेशन का पेश किया है। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बदयान्ती से विरासत के आधार पर गलत तरीके से दाखिल खारिज संख्या 1224 दिनांक 20/01/2014 को दर्ज करा दिया और हाल में आराजी मुतदाविया की बाबत राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम है जिनके विरूद्ध वादी की रिलीफ चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया है जिसकी मद संख्या 3 में रजिस्टर्ड बयनामा खारिज करने का तथ्य अंकित किया गया है बयनामा को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को बताया है। जबकि वादी का वाद पत्र रजिस्टर्ड बयनामा खारिज कराने का नहीं है। बल्कि डिक्लेशन का है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी है। आराजी मुतदाविया पूर्व में यानि सम्वत 2036 लगायत 2039 चारागाह की भूमि रही थी जिससे प्रतिवादीगण के दादा चन्द्रभान ने अपने नाम करवा लिया जिसकी जानकारी वादी ने आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 के तहत दी कि आराजी चारागाह की भूमि है जिसे न्यायालय श्रीमान ने सही मानते हुये अपने आदेश दिनांक 05/07/2018 के आधार पर सही होना स्वीकार किया । न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाने हेतु ताफैसला मुकदमा पाबन्द कर रखा है। आराजी मुतदाविया चारागाह भूमि से भी संबन्धित है अभी प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार साहब पहाडी का जबाब भी आना जरूरी है और ना ही अभी तक प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का जबाब पेश हुआ है जिसमें उक्त सभी आपत्ति लेनी आवश्यक है। दौराने विचारण आराजी मुतदाविया का किसी प्रकार ट्रांसफर किया जाता है तो वह ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 42 ए से बाधित मानी जाती है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया। वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमनें वकील फरीकेन की बहस पर गहनता से मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांक 04/12/2017 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आराजी मुतदाविया को रहन वय मुन्तकिल राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाने हेतु ताफैसला मुकदमा पाबन्द कर रखा है। आराजी मुतदाविया चारागाह भूमि से भी संबन्धित है । वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार साहब पहाडी का जबाब भी आना जरूरी है और ना ही अभी तक प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का जबाब पेश हुआ है जिसमें उक्त सभी आपत्ति लेनी आवश्यक है। दौराने विचारण आराजी मुतदाविया का किसी प्रकार ट्रांसफर किया जाता है तो वह ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 42 ए से बाधित मानी जाती है।

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 4,5 ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत दर्ज किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपनी आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद किया है जिसकी नकल बयनामा पत्रावली में संलग्न है आराजी पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 4व 5 का कब्जा काश्त होना प्रतीत होता है आराजी की बाबत जो बयनामा तस्दीक किये गये है उनकी पूर्ण जानकारी मूल वाद में प्रतिवादी को हो चुकी थी लेकिन वादी ने बयनामा की बाबत कोई भी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही नहीं की इस प्रकार बयनामा को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4,5 अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किये जाने के योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4,5 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। दावा वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडा (डीग)